

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III —Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937

No. 103] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2015

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/6.- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (ठ), खंड (ण) और खंड (त) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 है।

विनियम का उद्देश्य न्यासी बैंक की पात्रता, शासन, संगठन और कार्य संबंधी आचरण के लिए मानकों का उपबंध करना और उसे इसके लिए ऐसी आंतरिक प्रणाली स्थापित करना अपेक्षित है जो अभिदाताओं के हित के संरक्षण के लिए आंतरिक संगठन और कार्य संबंधी आचरण के मानकों का अनुपालन करे।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है;

1354 GI/2015 (1)

- (ख) "न्यासी बोर्ड" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास बोर्ड के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त न्यासी अभिप्रेत है ;
- (ग) ''अनुपालन अधिकारी'' से न्यासी बैंक से उत्तरदायी ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस रूप में पदाभिहित और अधिनियम या उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों या अनुदेशों का उसके द्वारा अनुपालन किए जाने को मानीटर करने के उत्तरदायित्व का भार सौंपा गया है :
- (घ) "आहरण और संपरिवर्तन अधिकारी" से केंद्रीय सरकार के अधीन आहरण और संपरिवर्तन अधिकारी अथवा उसके या किसी राज्य सरकार या किसी स्वायत्त निकाय के अधीन वैसा ही कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रयोजन के लिए अभिदाताओं की ओर से वेतन और लेखा कार्यालय (या समतुल्य कार्यालय) अथवा केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के साथ परस्पर क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;
- (इ.) "फायरवाल" से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जो भिन्न स्वतंत्र कार्यकलापों की और ऐसे न्यासी बैंक, प्रणालियों, मुख्य कार्यालय, बैंक और प्रतिभूति खातों की, जिसे कार्यकलापवार पृथक्-पृथक् किया जाएगा, आंतरिक सूचना तक पहुंच को रोकती है;
- (च) "नोडल कार्यालय" से ऐसा कार्यालय अभिप्रेत है जो अभिदाताओं और केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के मध्य अंतरापृष्ठ के रूप में कार्य करना है और इसके अंतर्गत प्रधान लेखा अधिकारी, खजाना और लेखा निदेशालय, वेतन और लेखा अधिकारी, जिला खजाना कार्यालय और वेतन और आहरण कार्यालय तथा उपस्थिति अस्तित्व और असंगठित सेक्टर के सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-लाइट सेक्टर में के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-लाइट निरीक्षण कार्यालय और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-लाइट लेखा कार्यालय भी है;
- (छ) "वेतन और लेखा कार्यालय" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन वेतन और लेखा कार्यालय या किसी संघ राज्यक्षेत्र या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं के अभिदाय ब्यौरे रखने के लिए जिम्मेदार किसी स्वायत्त निकाय के अधीन वैसा ही कार्यालय अभिप्रेत है;
- (ज) "स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन प्रत्येक अभिदाता के लिए केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा आबंटित कोई अद्वितीय संख्या अभिप्रेत है ;
- (झ) "प्रधान अधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो न्यासी बैंक के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है और इसके अंतर्गत.-
 - (i) किसी निगमित निकाय की दशा में कोई पूर्णकालिक निदेशक, कार्यपालक निदेशक, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य वित्त अधिकारी ;
 - (ii) निदेशक बोर्ड द्वारा प्रधान अधिकारी के रूप में पदाभिहित कोई व्यक्ति ; और
 - (iii) कोई प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या कोई व्यक्ति, जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार निदेशक बोर्ड या कोई एक या अधिक निदेशक उस रूप में कार्य करने के लिए अभ्यस्त है या हैं;
- (ञ) "सेवा स्तरीय मानकों" से ऐसे मानक अभिप्रेत हैं जो न्यासी बैंक के लिए अधिकथित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सेवा गुणवत्ता और प्रतिवर्तन काल समय को परिभाषित करते हैं ;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों का वहीं अर्थ होगा, जो क्रमशः उनका अधिनियम में है।

अध्याय 2

न्यासी बैंक का रजिस्ट्रीकरण

- 3. रिजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन और आवेदन फीस—(1) प्राधिकरण, न्यासी बैंक के रूप में रिजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित कर सकेगा। ऐसे प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के इच्छुक अस्तित्व से, प्राधिकरण को उपविनियम (5) में विनिर्दिष्ट आवेदन फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी। चयन प्रक्रिया का आधार और ऐसी चयन प्रक्रिया के अधीन मूल्यांकन ऐसे किया जाएगा, जो प्राधिकरण, रिजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने की तारीख को विनिर्दिष्ट करे, जिसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
- (2) न्यासी बैंक, जिसे उस रूप में कार्य करने के लिए, अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व, अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियुिक्त किया गया था, अपनी नियुिक्त की अवधि की अनवसित अवधि या प्राधिकरण द्वारा दिए गए विस्तारकाल के लिए उस रूप में जारी रख सकेगा। परंतु, तथापि, ऐसा न्यासी बैंक, इन विनियमों की अधिसूचना से नब्बे दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा। प्राधिकरण, न्यासी बैंक द्वारा पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने पर, इस उपविनियम में उल्लिखित अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
- (3) प्राधिकरण, अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों के निबंधनानुसार आवेदकों की पात्रता का और किसी अन्य मानदंडों की, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट ऐसी चयन प्रक्रिया में पूरे किए जाने हैं, जो उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट है और ऐसे मापदंड में किए गए कोई उपांतरण, जो समय-समय पर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, परीक्षा करेगा।
- (4) प्राधिकरण, इन विनियमों के अधीन एक या अधिक न्यासी बैंक नियुक्त कर सकता है।
- (5) प्रत्येक आवेदक, प्राधिकरण को आवेदन के साथ दस लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस का संदाय करेगा ।
- **4. पात्रता मापदंड**—(1) निम्नलिखित पात्रता मानदंडों और कोई अन्य मानदंड या निबंधनों और शर्तों का या किन्हीं अन्य उपांतरणों को, जो विनियम 3 में निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट किए जाएं, पूरा करने वाली संस्थाएं, न्यासी बैंक की चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे,—
 - (क) ऐसी विस्तृत ग्रामीण और नगरीय शाखाओं के नेटवर्क के साथ, जो चयन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट की जाएं, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक;
 - (ख) आवेदक ने आवेदन की तारीख पर कम से कम पिछले तीन क्रमवर्ती वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ कमाया हो, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात को पूरा करेगा ;
 - (ग) आवेदक को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के मंत्रालयों या विभागों की ओर से सरकारी कारबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
 - (घ) आवेदक की सभी शाखाएं आपस में नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी होंगी;
 - (ङ) आवेदक का, यदि न्यासी बैंक के रूप में चयन हो जाता है, तो केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या अभिकरणों के साथ प्रौद्योगिकीय अनुरुपता स्थापित करने की प्रतिबद्धता, जिसके अंतर्गत संपूर्ण संव्यवहार पद्धति के दौरान प्रत्येक संव्यवहार के लिए सभी प्रकार से विधिमान्य केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण द्वारा जिनत्र एक अद्वितीय अनन्य संव्यवहार पहचान अनुज्ञात करना भी है;

- (च) आवेदक का नकदी प्रबंध सेवा कारबार होना चाहिए। नकदी प्रबंध सेवाओं के ग्राहकों की संख्या और संव्यवहार का स्तर ऐसा होगा जो चयन प्रक्रिया को प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (2) प्राधिकरण, समय-समय पर अभिदाताओं के हित में या पेंशन प्रणाली के क्रमबद्ध विकास के लिए, पात्रता मानदंड को परिवर्तित या उपांतरित कर सकता है।
- **5. सूचना का प्रकटन**—(1) प्राधिकरण, अभिदाताओं के हित को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर ऐसी सूचना डालकर आवेदक द्वारा किए गए आवेदन की सूचना जन साधारण को प्रकट कर सकेगा इसमें आवेदक द्वारा संधृत वेबसाइट भी शामिल है।
- (2) इन विनियमों के अधीन दी गई या वेबसाइट पर डाली गई सूचना में के तात्विक परिवर्तन की सूचना आवेदक द्वारा तुरंत किन्तु ऐसे परिवर्तन होने के पन्द्रह दिन के अपश्चात्, दी जाएगी।
- **6. सूचना और स्पष्टीकरण का दिया जाना**—(1) प्राधिकरण, आवेदक से आवेदन के निपटारे के लिए और उसके पश्चात् के किसी अन्य विषय को, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझा जाए, ध्यान में रखते हुए कोई अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (2) आवेदक, ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्राधिकरण द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा।
- 7. सूचना का सत्यापन—(1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन, दी गई सूचना और उसकी पात्रता पर विचार करते समय, प्राधिकरण, यदि वह ऐसी वांछा करे, ऐसी रीति में, जो आवश्यक समझे, सूचना को सत्यापित कर सकेगा, जिसके अंतर्गत दस्तावेजों और कार्यालय स्थल का, भौतिक सत्यापन और कार्यालय स्थल, अवसंरचना की उपलब्धता और ऐसा प्रौद्योगिकीय सामर्थ का निरीक्षण भी होगा जिसका आवेदक द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
- (2) सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत उसका कोई अधिकारी या कोई वाह्य संपरीक्षक या अभिकरण भी है, नियुक्त कर सकेगा।
- 8. आवेदन पर विचार किया जाना और उसे नामंजूर किया जाना—(1) प्राधिकरण, प्रमाणपत्र दिए जाने के प्रयोजन के लिए ऐसे सभी विषयों को ध्यान में रखेगा, जो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन कार्यकलापों से सुसंगत समझे, जो अंतर्गत निम्नलिखित है किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है, अर्थात् :--
 - (क) क्या आवेदक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को और ऐसे निबंधन और शर्तों को भी, जो विनियम 3 में निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट की जाए, पूरा करता है ;
 - (ख) क्या प्रमाणपत्र का दिया जाना के पेंशन सेक्टर तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमबद्ध विकास के उद्देश्य और अभिदाताओं के हित में है ;
 - (ग) क्या आवेदक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया गया है या प्राधिकरण द्वारा जिसका प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है :
 - (घ) कोई अन्य आधार, जो प्राधिकरण आवेदन पर विचार करने या उसे नामंजूर करने लिए विनिर्दिष्ट करे।

- (2) प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए किसी आवेदन को निम्नलिखित में से किसी आधार पर नामंजूर किया जा सकेगा, अर्थात् :—
 - (क) यदि आवेदन सभी प्रकार से पूरा नहीं है और इन विनियमों या प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की तारीख को विनिर्दिष्ट कोई अन्य चयन मानदंड में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है;

5

- (ख) यदि आवेदन के साथ विनिर्दिष्ट आवेदन फीस या आवेदन के समर्थन में सुसंगत दस्तावेज संलग्न नहीं है या आवेदक प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी देने में असफल रहता है:
- (ग) यदि आवेदन में अशुद्ध, मिथ्या या भ्रामक सूचना अंतर्विष्ट है।
- (3) जहां कोई आवेदन उपविनियम (2) के खंड (ख) के अधीन नामंजूर किया जाता है वहां प्राधिकरण लिखित में कारण अभिलिखित करेगा:

परंतु प्राधिकरण, किसी ऐसे आवेदन को नामंजूर करने के पूर्व आवेदक को ऐसे समय के भीतर, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, आपत्तियों को हटाने का अवसर देगा:

परंतु यह और कि जहां प्राधिकरण द्वारा कोई आवेदन इस कारण से कि उसमें मिथ्या या भ्रामक सूचना अंतर्विष्ट है, नामंजूर किया जाता है, वहां ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जा सकेगा और आवेदक इन विनियमों या किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक आवेदन नहीं करेगा।

- 9. रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की प्रक्रिया—(1) आवेदक ऐसे प्रारूप में, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, आवेदन प्रस्तुत करेगा। रिजस्ट्रीकरण हेतु पात्र होने के लिए आवेदक से, आवेदन की तारीख को, प्राधिकरण द्वारा चयन प्रक्रिया के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सभी तकनीकी और वाणिज्यिक मानदंड पूरा करने की अपेक्षा होगी।
- (2) प्राधिकरण द्वारा यह संतुष्टि होने पर कि आवेदक, अधिनियम, नियमों और विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी मानदंड और चयन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन संबंधी मानदंड को भी पूरा करता है, वह अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में रिजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा और आवेदक को इसके बारे में सूचित करेगा
- (3) प्राधिकरण द्वारा न्यासी बैंक को अनुदत्त कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :--
 - (क) जहां न्यासी बैंक अपनी प्रास्थिति या गठन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है वहां वह अपनी प्रास्थिति या गठन में ऐसे परिवर्तन के पश्चात् ऐसे न्यासी बैंक के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा:
 - (ख) वह विनियम 11 या विनियम 12 के अनुसार ऐसी लागू फीसों का संदाय करेगा, जो लागू हो ;
 - (ग) वह सभी समयों पर अधिनियम, नियम, विनियमों के उपबंधों, ऐसे निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और परिपत्रों द्वारा, जो उसके और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन जारी किए जाएं, आबद्धकर होगा;
 - (घ) वह सभी समयों पर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करेगा;
 - (ङ) वह अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा :

परंतु प्राधिकरण ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह अभिदाताओं के हितों में या पेंशन सेक्टर के विकास के लिए ठीक समझे और न्यासी बैंक से ऐसी शर्तों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(4) प्राधिकरण द्वारा उपविनियम (3) के खंड (क) के अधीन पूर्व अनुमोदन के ऐसे अनुरोध का, जो सभी प्रकार से पूर्ण है, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन की अविध के भीतर निपटारा किया जाएगा और जहां प्राधिकरण के विनिश्चय की संसूचना न्यासी बैंक को साठ दिन की उक्त अविध के भीतर नहीं दी गई है वहां पूर्व अनुमोदन अनुदत्त किया गया समझा जाएगा।

- (5) उपविनियम (3) के खंड (क) के अधीन पूर्व अनुमोदन के अनुरोध में प्रास्थिति या गठन में प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् न्यासी बैंक की बाबत सूचना अंतर्विष्ट होगी और ऐसी सूचना प्राधिकरण द्वारा वेबसाइट पर डाली जाएगी ।
- 10. प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इंकार किए जाने या प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति का प्रभाव—(1) जहां न्यासी बैंक आवेदन करने में असफल रहा है या जहां विद्यमान न्यासी बैंक को इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इंकार कर दिया गया है वहां न्यासी बैंक,-
 - (क) ऐसे न्यासी बैंक के रूप में कार्य करने से तुरंत प्रविरत हो जाएगा ;
 - (ख) संपूर्ण सुलह से संबंधित अपने क्रियाकलापों से संबंधित अपनी धनराशि, अभिलेख और दस्तावेज किसी ऐसे अन्य न्यासी बैंक को अंतरित करेगा जिसे ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है ;
 - (ग) न्यासी बैंक द्वारा उपगत या गृहीत दायित्वों के बारे में उपबंध करेगा ;
 - (घ) ऐसी अन्य कार्रवाई, ऐसी सीमा के भीतर और ऐसी रीति में करेगा जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जैसा प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए।
- (2) इन विनियमों के अधीन विद्यमान न्यासी बैंक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इंकार करते समय प्राधिकरण उसके ऊपर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह अभिदाताओं के हित में ठीक समझे और उन शर्तों का पालन किया जाएगा।
- 11. रजिस्ट्रीकरण फीस—आवेदक द्वारा प्राधिकरण को पच्चीस लाख रुपए की अप्रतिदेय रजिस्ट्रीकरण फीस संदत्त की जाएगी।
- 12. वार्षिक फीस—(1) न्यासी बैंक, प्रत्येक वर्ष नियत तारीख के पूर्व ऐसी वार्षिक फीस जमा करेगा जो बोली लगाकर या ऐसी अन्य रीति के माध्यम से अवधारित की जाएगी जो प्राधिकरण द्वारा चयन प्रक्रिया के समय अवधारित की जाए।
- (2) उस वर्ष के लिए, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है वार्षिक फीस न्यासी बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के लिए लागू अनुपात में, ऐसी तिमाही अवधि में कम पड़ने वाले महीनों या दिनों की संख्या पर ध्यान दिए बिना जमा की जाएगी। यदि न्यासी बैंक नियत तारीख के पहले या नियत तारीख को वार्षिक फीस जमा करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण को न्यासी बैंक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
- 13. विधिमान्यता की अवधि—(1) अधिनियम या इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन करने के अधीन रहते हुए न्यासी बैंक को अनुदत्त प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जब तक प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द न किया जाए रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य बना रहेगा।
- (2) प्राधिकरण, ऐसी अवधि के लिए, जो वह अभिदाताओं के हित में अवधारित करे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अवधि को बढ़ा या कम कर सकेगा। ऐसा विस्तार या कम किया जाना लेखबद्ध रूप से अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति पर न्यासी बैंक को दिया गया कोई विस्तारण न्यासी बैंक पर आबद्धकर होगा और न्यासी बैंक, ऐसे विस्तारण के निबंधनों के अनुसार अपने कृत्यों का निवंहन करेगा।
- (3) उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन रिजस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के दौरान न्यासी बैंक को अनुदत्त रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का वार्षिक रूप से या किसी अन्य अविध या किसी ऐसे समय पर, जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, पुनर्विलोकन किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा उसके पश्चात् न्यासी बैंक के रूप में उसकी निरन्तरता विनिश्चित की जाएगी।
 - (4) न्यासी बैंक, विनियम 12 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक फीस का संदाय करने का दायी होगा।
- (5) एक वर्ष से कम के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का विस्तार होने पर आनुपातिक वार्षिक फीस या नवीकरण फीस तिमाही आधार पर वसूल की जाएगी।

14. रजिस्ट्रीकरण का विस्तारण—प्राधिकरण, इन विनियमों के अनुसार, रजिस्ट्रीकृत न्यासी बैंक की अवधि की समाप्ति की तारीख से पहले नब्बे दिन या ऐसी अन्य अवधि का, जो विनिर्दिष्ट की जाए, नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण अधिसूचित करेगा या न्यासी बैंक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की ऐसी अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा, जो अभिदाताओं के हित में अवधारित की जाए। ऐसा विस्तारण अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए अनुदत्त कर दिया जाएगा। न्यासी बैंक को रजिस्ट्रीकरण अवधि की समाप्ति पर या अनुदत्त कोई विस्तारण न्यासी बैंक पर आबद्धकर होगा और न्यासी बैंक, ऐसे विस्तारण के निबंधनों के अनुसार अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

अध्याय 3

न्यासी बैंक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

- **15. प्राधिकृत करना—(**1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड, न्यासी बैंक को अधिनियम, उसके अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों और जारी किन्ही मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों के अनुसार बैंककारी निधियों के प्रयोजन के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
- (2) न्यासी बोर्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम में और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के हिताधिकारियों के फायदाप्रद हितों के लिए अपनी ओर से निधियां धारित करने के लिए न्यासी बैंक को प्राधिकृत करेगा । ऐसे प्राधिकार से न्यासी बैंक को, अभिदाताओं की निधि में कोई अधिकार, हक, हित या हिस्सा या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई अन्य अधिकार प्रदत्त नहीं होगा।
- (3) न्यासी बोर्ड, न्यासी बैंक के उन सभी व्यक्तियों के नाम और हस्ताक्षर, पते और प्राधिकार के प्रविषय को प्रमाणित करेगा, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की ओर से समय-समय पर और विनियम, प्रमाणपत्र या लिखत के निबंधनों के अनुसार जारी किए गए समुचित निदेश या कोई अन्य सूचना, अनुरोध पत्र, निदेश, परिपत्र, अनुदेश और अधिसूचना देने के लिए प्राधिकृत हैं। ऐसे प्रमाणपत्र न्यासी बैंक द्वारा, इसमें उपवर्णित तथ्यों के निश्चायक साक्ष्य के रूप में स्वीकृत हो सकेंगे तथा इनका अवलम्ब लिया जा सकेगा और इसके विपरीत वैसा ही प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक उन पर पूर्ण शक्ति और प्रभाव से विचार किया जा सकेगा। ऐसा कोई प्रमाणपत्र राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे न्यासी बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जा सके, दिया जा सकेगा।
- (4) न्यासी बैंक, न्यासी बोर्ड को उन सभी व्यक्तियों के नाम और हस्ताक्षर, पते और प्राधिकार के प्रविषय को प्रमाणित करेगा, जो न्यासी बैंक की ओर से समुचित निदेश या कोई अन्य सूचना, अनुरोध पत्र, निदेश, अनुदेश, प्रमाणपत्र या लिखत प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं। ऐसे प्राधिकृत व्यक्तियों पर किसी सूचना, अनुरोध, निदेश, अनुदेश, प्रमाणपत्र या लिखत की तामील न्यासी बैंक पर प्रभावी सूचना या तामील समझी जाएगी।
- **16. भूमिका और उत्तरदायित्व -** (1) न्यासी बैंक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन दिन प्रतिदिन की बैंककारी निधियों को संभालेगा और अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के निबंधनानुसार प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों के उपबंधों, प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ निष्पादित कार्य सेवा स्तरीय करारों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा जारी मानक कार्य प्रक्रिया के अनुसार बैंककारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।
- (2) न्यासी बैंक, अपने कर्तव्यों को क्रियान्वित करने में और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन स्कीमों के अभिदाताओं, फायदा ग्राहियों के अधिकारों और हितों को संरक्षित करने के लिए सम्यक् तत्परता और सतर्कता का प्रयोग करेगा। न्यासी बैंक, अपने ऐसे कर्मचारियों और व्यक्तियों द्वारा, जिनकी सेवाएं किसी भी हैसियत में न्यासी बैंक द्वारा उपाप्त की गई हैं, लोप या त्रुटि के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) न्यासी बैंक के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खाते, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर होंगे और न्यासी बैंक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की निधियों को धारण करेगा । तथापि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन व्यष्टि अभिदाता इन निधियों के फायदाप्रद स्वामी होंगे ।
- (4) न्यासी बैंक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खातों की सभी पुस्तकें और अभिलेख रखेगा और समय-समय पर प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा यथाविनिर्दिष्ट और इन विनियमों में यथा उपबंधित प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का पालन करेगा। न्यासी बैंक, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए न्यासी बैंक, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, अभिदाताओं और पेंशन निधियों के मध्य निधि के प्रवाह और सूचना के संचार के बारे में पुस्तकें और अभिलेख रखेगा और ऐसे अंतरालों पर तथा ऐसी रीति में, जिसकी प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षा की जाए या उसकी मांग की जाए, नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से संबंधित पुस्तकें और खाते राष्ट्रीय पेंशन

अभिलेख, प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत अधिकारियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और उसके संपरीक्षकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

- (5) बैंककारी निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खाते में रहेगी और न्यासी बैंक, पर्याप्त सावधानी के साथ विनियम के निबंधनानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। न्यासी बैंक, न्यासी बैंक या उसके कर्मचारियों की ओर से कपट की प्रकृति का कोई लोप या कारण त्रुटि, उपेक्षा, कर्तव्य की अवहेलना, कदाचार या उपापराध या लागू विधि या इन विनियमों के उपबंधों को भंग के कारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को हुए किसी हानि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, इस दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बोर्ड (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या न्यासी बोर्ड को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप को हुई किसी हानि के लिए) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या न्यासियों के विरुद्ध, न्यासी बोर्ड और न्यासी बैंक के मध्य हस्ताक्षरित किसी करार के किसी भाग के अनुसार न्यासी बैंक क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी होगा।
- (6) निधियां, न्यासी बैंक की अभिहित शाखाओं में अनुरक्षित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम के पृथक् खातों में जमा की जाएगी। सभी रसीदें, भुगतान, आय और व्यय इस खाते में विकलित या जमा की जाएगी। न्यासी बैंक दिन प्रतिदिन की निधियों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) (क) प्रणालियां और प्रक्रियाएं,—
- (i) न्यासी बैंक के पास ऐसी सभी आवश्यक प्रणालियां, प्रक्रियाएं अवसंरचना होंगी जो उसे अन्य मध्वर्तियों के साथ समन्वय के लिए समर्थ बनाने हेतु अपेक्षित हो सकेंगी:
- (ii) अन्य कारबारों से उत्फुल्लता (फायरवाल)

न्यासी बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कारबारों की बाबत उसके अन्य कारोबार से, कर्मचारिवृंद और प्रणालियों, दोनों से, फायरवाल बनाई जाए;

- (ख) प्रणालियों और नियंत्रणों की मानीटरी, पुनर्विलोकन, मूल्यांकन और निरीक्षण,—
- (i) न्यासी बैंक के पास अपने नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करने, मानीटर करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त तंत्र होना चाहिए;
- (ii) जहां अभिलेखों को इलेक्ट्रानिक रूप से रखा गया है, वहां यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी कि अभिलेखपालन की निरंतरता लुप्त या नष्ट न हो और इसलिए अभिलेखों का पर्याप्त बैकअप उपलब्ध हो;
- (iii) न्यासी बैंक किसी विशेषज्ञ द्वारा, उपखंड (i) में निर्दिष्ट तंत्र के अधीन अपने स्वयं के खर्चे पर अपनी प्रणालियों का निरीक्षण करेगा और यह विशेषज्ञ प्राधिकरण को निरीक्षण की तारीख से एक मास के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित करेगा;
- (iv) न्यासी बैंक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के साथ "सेवा स्तरीय करार" के अनुसार अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा । न्यासी बैंक के कार्य संबंधी प्रक्रियाएं और प्रणालियां पर्याप्त रूप से दस्तावेजीकृत और कार्य संबंधी मैनुअल द्वारा समर्थित होनी चाहिए ।
- (8) न्यासी बैंक के लिए, आवश्यक पर्यवेक्षण (स्थल के ऊपर और स्थल के बाहर) सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए न्यासी बैंक के पास अनुरक्षित न्यास खाते के संबंध में सभी अभिलेख, डाटा या कोई अन्य सुसंगत सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा। न्यासी बैंक, उसके पास उपलब्ध राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निधियों से संबंधित सूचना का, नियमित आधार पर पारेषण के लिए और केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण को अनुदेश देने के लिए उत्तरदायी होगा। न्यासी बैंक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास प्राधिकरण और अन्य ऐसे मध्यवर्तियों को, जो प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, वेब आधारित पहुंच उपलब्ध करेगा। न्यासी बैंक से, प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, वेब आधारित पहुंच उपलब्ध करेगा। न्यासी बैंक से, प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, वेब आधारित पहुंच उपलब्ध करेगा। करने की अपेक्षा होगी।
- (9) न्यासी बैंक, से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अन्य मध्यवर्तियों के साथ अपेक्षित सेवा स्तरीय करार, जहां लागू हो, पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा होगी। न्यासी बैंक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन नियुक्त अन्य मध्यवर्तियों के साथ संपूर्ण समन्वय और सहयोग सेएक अंतरापृष्ठ और कार्य स्थापित करेगा।
- (10) न्यासी बैंक, अपने किन्हीं कर्तव्यों और बाध्यताओं के प्रयोजन के लिए प्रायोजक या उसके किसी सहयोगी, कर्मचारी या उनके संबंधी की सेवाओं का उपयोग नहीं करेगा :

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

परंतु न्यासी बैंक ऐसी सेवाओं का उपयोग कर सकेगा यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को इस प्रभाव का कोई प्रकटन किया जाता है।

- (11) प्राधिकरण, अभिदाताओं के हित में समय-समय पर परिपत्रों, अधिसूचनाओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से इन विनियमों में यथावर्णित भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को जोड़ सकेगा, निकाल सकेगा या उपांतरण अथवा परिवर्तित कर सकेगा।
- 17. केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण और अन्य मध्यवर्तियों के साथ न्यासी बैंक की सहलग्नता—न्यासी बैंक से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संरचना के विभिन्न मध्यवर्तियों अर्थात् केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, नोडल अधिकारी (वेतन और लेखा कार्यालय, आहरण और संवितरण अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, खजाना लेखा महानिदेशालय), उपस्थिति अस्तित्व, न्यासी बैंक, पेंशन निधियां और वार्षिक सेवा प्रदाता और अन्य जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के मध्य निधि का अंतरण सुकर बनाने के लिए आवश्यक प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित करने की अपेक्षा होगी।
- 18. न्यासी बैंक के लिए कार्य संबंधी अपेक्षाएं न्यासी बैंक से क्रियाकलाप के स्तर पर आधारित कतिपय न्यूनतम कार्य संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा होगी। ये अपेक्षाएं ऐसी चयन प्रक्रिया में, जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा समय-समय पर जारी सेवा स्तर करार और मानक कार्य प्रक्रिया में यथाविनिर्दिष्ट होंगी। यह समय-समय पर किए गए ऐसे उपांतरण के अध्यधीन होगा जो प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाए।
- 19. रिपोर्ट और संपरीक्षा—(1) न्यासी बैंक, प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को समय-समय पर निम्नलिखित रिपोर्ट फाइल करेगा—
- (क) नियमित अंतरालों पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास लेखे, अनुपालन प्रमाणपत्र और अभिदाता शिकायत रिपोर्टों की स्वतंत्र संपरीक्षकों की आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्ट के उद्धरण :
- (ख) प्रत्येक तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाने वाली समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
- (ग) न्यासी बैंक द्वारा अनुरक्षित सभी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लेखाओं की वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली बाह्य संपरीक्षा रिपोर्ट ।प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त सभी तीन संपीक्षाओं की परिधि को परिभाषित किया जाएगा ।
- (2) न्यासी बैंक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को न्यासी बैंक के आय-व्यय लेखा का विवरण और उसकी स्थिति को परावर्तित करने वाला तुलनपत्र ।
- (3) न्यासी बैंक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को—
- (क) अपने सभी निदेशकों का, उनकी नियुक्ति के पन्द्रह दिन के भीतर अन्य कपंनियों में उनके हितों के साथ, बायो-डाटा फाइल करेगा; और
- (ख) प्रत्येक छह मास में निदेशकों के हितों में हुए किसी परिवर्तन को फाइल करेगा।
- (4) पेंशन निधि या केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण और वास्तविक निधि अंतरण से प्राप्त सूचना प्रवाह पर आधारित निधि अंतरण या निधियों की प्राप्ति के संबंध में पेंशन निधि से असंगति, यदि कोई हो, पर रिपोर्ट ।
- (5) प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा परिभाषित मानदण्डों और आवृत्ति के अनुसार समय-समय पर रिपोर्ट देना । कुछ प्रमुखमानदण्ड, जिनका रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित हैं :
- (क) दैनिक आधार पर खातावार अतिशेष;
- (ख) दैनिक आधार पर निधि के अंतरण और प्राप्ति की प्रास्थिति:
- (ग) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के खाते में पहचान की गई और बिना पहचान वाली निधियों की प्रास्थिति पर रिपोर्ट;
- (घ) सेक्टरवार असमन्वित रकम विवरणी रिपोर्ट- साप्ताहिक, मासिक या जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।
- (6) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अपेक्षित कोई अन्य सूचना रिपोर्ट ।

अध्याय -5

निरीक्षण और संपरीक्षा

- 20. निरीक्षण और संपरीक्षा—(1) प्राधिकरण, किसी समय प्रत्यक्ष रूप से या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक के माध्यम से किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत उपविनियम (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजन भी हैं, न्यासी बैंक की लेखा बहियों, लेखाओं, अभिलेखों, जिसके अंतर्गत टेलीफोन के अभिलेख और इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं और दस्तावेजों का निरीक्षण और संपरीक्षा कर सकेगा।
- (2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत निम्नलिखित भी सम्मिलित हो सकेंगे,-
 - (क) अवसंरचनात्मक सामर्थ्य, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अभिनिश्चित करना;
 - (ख) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियां, अभिलेख, जिनके अंतर्गत टेलीफोन अभिलेख और इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी हैं और दस्तावेजों को इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रीति में बनाए रखा जा रहा है ;
 - (ग) यह अभिनिश्चित करना कि क्या यथोचित आंतरिक नियंत्रण पद्धितयों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों को स्थापित किया गया है और क्या न्यासी बैंक द्वारा उनका अनुसरण किया जा रहा है ;
 - (घ) यह अभिनिश्चित करना कि अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों या उसके अधीन जारी किए गए परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं का पालन किया जा रहा है;
 - (ड.) अभिदाताओं, नोडल कार्यालयों, मध्यवर्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी विषय पर, जो प्राधिकरण द्वारा न्यासी बैंक को सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित है, प्राप्त शिकायतों की जांच किया जाना :
 - (च) ऐसे विषयों में, जो अभिदाताओं के हित में उचित समझे जाएं, स्वतः संज्ञान से जांच किया जाना।
- (3) प्राधिकरण,
- (क) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण या संपरीक्षा कराने के लिए एक या अधिक प्राधिकृत प्रतिनिधियों या किसी अन्य अर्हक संपरीक्षक को नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपविनियम के प्रयोजनों के लिए, 'अर्हक संपरीक्षक' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956का 1) की धारा 226 में उसका है ।

- 21. निरीक्षण या संपरीक्षा के पूर्व सूचना–(1) विनियम 20 के अधीन कोई निरीक्षण या संपरीक्षा करने के पूर्व प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक न्यासी बैंक को दस कार्य दिवस की सूचना देगा :
- परंतु यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाताओं के हितों की तत्काल रक्षा के लिए निरीक्षण या संपरीक्षा आवश्यक है तो किसी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी।
- (2) निरीक्षण के दौरान न्यासी बैंक, जिसके विरुद्ध निरीक्षण या संपरीक्षा की जा रही है, इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आबद्धकर होगा।
- 22. निरीक्षण और संपरीक्षा पर बाध्यताएं—(1) ऐसे न्यासी बैंक का, जिसके कार्यों का निरीक्षण या संपरीक्षा की जा रही है, और उसके प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में की पुस्तकों, लेखाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को, ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करे और प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और सूचना दे, जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए।

- (2) न्यासी बैंक प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक को उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे गए परिसर तक युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा और न्यासी बैंक या ऐसे अन्य व्यक्ति के कब्जे में की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तोवजों और कम्प्यूटर डाटा की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी, जो प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधिया संपरीक्षक की राय में निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए सुसंगत हों, उपलब्ध कराएगा।
- (3) न्यासी बैंक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को या संपरीक्षक को निरीक्षण या संपरीक्षा के संबंध में ऐसी सभी सहायता प्रदान करे जिसकी प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे।
- 23. रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना (1) निरीक्षण या संपरीक्षा पूरी होने पर, प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह अभिदाताओं के हित में ठीक और उचित समझे।
- (2) प्राधिकरण, यथास्थिति, स्वतः संज्ञान से या निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मामले में अन्वेषण या जांच करने का आदेश दे सकेगा।
- **24. निरीक्षण या संपरीक्षा फीस का संदाय -** प्राधिकरण, विनियम 20 के उपविनियम (1) के अधीन प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक के माध्यम से किए गए निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपगत ऐसे व्यय न्यासी बैंक से वसूल करने का हकदार होगा।
- 25. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निरीक्षण और संपरीक्षा- (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास प्रचालन सेवा स्तरीय करारों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न्यासी बैंक के निरीक्षण या संपरीक्षा का या दोनों का कार्य प्रतिवर्ष आधार पर या ऐसी अन्य अवधि पर, जो कार्य संबंधी सेवा स्तर करारों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार अपने हाथ में लेगा। न्यासी बैंक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस परिसर तक, जो उसके अधिभोग में है, लेखा बहियों, अभिलेखों तक युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा और यथास्थिति, ऐसे निरीक्षण अथवा संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी आवश्यक जानकारी, जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, उपलब्ध कराएगा।
- (2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, न्यासी बैंक से प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किए गए निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपगत ऐसे व्यय वसूल करने का हकदार होगा ।
- (3) प्राधिकरण संपरीक्षा या निरीक्षण की परिधि को ऐसे उपांतरित कर सकेगा जो उसके द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय -6

प्रमाणपत्र का निलंबन या रहकरण और व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई

- **26** .रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन –(1) जहां कोई ऐसा न्यासी बैंक, जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है-
 - (क) किन्हीं ऐसी शर्तों का, जिसके अधीन रहते हुए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, पालन करने में असफल रहता है ;
 - (ख) इस अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं, निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों का उल्लंघन करता है:
 - (ग) अन्य मध्वर्तियों के साथ किए गए करारों के उपबंधों का उल्लंघन करता है ;

- (घ) अनुचित व्यापारिक पद्धतियों में आलिप्त रहता है या अपना कारबार ऐसी रीति में करता है जो अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो ;
- (ङ) प्रचालन क्षेत्र के संबंध में प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कोई सूचना देने में असफल रहता है ;
- (च) अधिनियम के अधीन या प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है ;
- (छ) प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी जांच में सहयोग नहीं देता है;
- (ज) अधिनियम की धारा 28 के अधीन यथावर्णित कार्यों में कोई चूक करता है ;
- (झ) कोई अन्य कारण, जो प्राधिकरण की राय में अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या वापस लेने का समुचित आधार हो,

वहां प्राधिकरण, अधिनियम, विनियमों, उसके अधीन जारी निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा ऐसे न्यासी बैंक के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन करने या उसे प्रत्याहृत करने सिहत इन विनियमों के अधीन उपबंधित रीति में ऐसी कार्रवाई या कोई अन्य कार्रवाई, जो समुचित समझी जाए, कर सकेगा।

- (2) प्राधिकरण, उपविनियम (1) के अधीन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने या निलंबित करने के बजाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों को इस प्रकार सत्यापित या उपांतरित करने का निदेश दे सकेगा, जैसे वह ठीक समझे या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो अभिदाताओं के हित में फायदाप्रद समझे।
- (3) एक बार रजिस्ट्रीकृत होने पर न्यासी बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन विनियमों में यथा वर्णित पात्रता की शर्तों का रजिस्ट्रीकरण अविध और उसके विस्तार की अविध की संपूर्ण प्रवर्तनाविध के दौरान सर्वथा पालन किया जाए, जिसमें असफल रहने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकेगा। रजिस्ट्रीकृत न्यासी बैंक द्वारा प्राधिकरण को पात्रता की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं के बंद होने के तीस दिन के भीतर दिया जाएगा।
- **27. किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण—(**1) कोई ऐसा न्यासी बैंक, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, जो अपने कार्यकलाप छोड़ना चाहता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करना चाहता है, प्राधिकरण से ऐसे अभ्यर्पण का अनुरोध कर सकेगा।
- (2) इन विनियमों के अधीन ऐसे अनुरोध का निस्तारण करते समय प्राधिकरण, संबंधित न्यासी बैंक से प्राधिकरण का ऐसे कारकों पर, जो वह ठीक समझे, समाधान करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक भी सम्मिलित हैं. किन्तु ये निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं—
 - (क) न्यासी बैंक द्वारा अपने स्वयं के खर्चे और व्यय पर अधिनियम, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए की गई व्यवस्था;
 - (ख) अभिदाता की शिकायतों का निवारण;
 - (ग) अभिदाताओं के अभिलेखों, निधियों या प्रतिभृतियों का उनके स्वयं के खर्चे और व्यय पर अंतरण ;
 - (घ) अभिदाताओं की सतत् सेवा सनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा की गई व्यवस्था;
 - (ङ) व्यतिक्रम या लंबित कार्रवाइयां, यदि कोई हों।
- (3) अभ्यर्पण संबंधी अनुरोध स्वीकार करते समय प्राधिकरण न्यासी बैंक पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के हित के संरक्षण के लिए उचित समझे और संबंधित न्यासी बैंक ऐसी शर्तों का पालन करेगा।

(4) किसी ऐसे न्यासी बैंक को उसके ऐसे प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा व्यतिक्रम के लिए कोई कार्रवाई आरंभ की गई है या अनुध्यात की गई है।

13

- **28** . प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण का प्रभाव—(1) प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण की तारीख से ही संबंधित न्यासी बैंक -
 - (क) अभिदाताओं से कोई अतिरिक्त सुपुर्दगी नहीं लेगा या कोई नवीन धनराशि या सूचना संगृहीत नहीं करेगा । ऐसे निलंबन की अविध के दौरान वह ऐसी कोई कार्रवाई करने से प्रविरत रहेगा जिसके संबंध में रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था ;
 - (ख) अपने अभिदाताओं को, यथास्थिति, अपनी धनराशि या सुपुर्दगियों के अंतरण करने की अनुज्ञा देगा अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, किसी अतिरिक्त खर्चे के बिना, उसे दी गई किसी सुपुर्दगी को वापस करने की अनुज्ञा देगा;
 - (ग) उसके द्वारा उपगत या कल्पित दायित्वों के संबंध में उपबंध करेगा;
 - (घ) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन या उससे अन्यथा, आदेश पारित करते समय ऐसी अन्य कार्रवाई, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिदाताओं के किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों तथा ऐसी सूचना या धनराशि से, जो ऐसे न्यासी बैंक की अभिरक्षा या नियंत्रण में है, संबंधित कार्रवाई भी है, ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जैसा प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए।
 - (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण या रद्दकरण या निलंबन की तारीख से ही संबंधित न्यासी बैंक -
 - (क) प्राधिकरण को, इस प्रकार रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस कर देगा और ऐसे क्रियाकलाप को कार्यान्वित करने के लिए, जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के धारक होने के लिए स्वयं का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा;
 - (ख) कोई ऐसा क्रियाकलाप करने से प्रविरत रहेगा जिसके संबंध में प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था ;
 - (ग) अपने क्रियाकलाप, ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारण करने वाले प्राधिकरण द्वारा यथानिदेशित किसी अन्य न्यासी बैंक को अंतरित कर देगा और अपने अभिदाताओं को अपनी निधियां, बिना किसी अतिरिक्त लागत के अंतरिती इकाई को अंतरित करने की अनुज्ञा देगा;
 - (घ) उसके द्वारा उपगत या कल्पित दायित्वों के संबंध में उपबंध करेगा ;
 - (ङ) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन या उससे अन्यथा आदेश पारित करते समय, ऐसी अन्य कार्रवाई, जिसके अंतर्गत अभिदाताओं के किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों और अस्तित्वों से, जो न्यासी बैंक की अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, संबंधित कार्रवाई भी है, ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जैसा प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए।
- 29. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति—(1) जहां अभिहित सदस्य को यह प्रतीत होता है कि न्यासी बैंक, जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति ने विनियम 26 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई चूक की है वहां वह मुख्य महाप्रबंधक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को या किसी समतुल्य श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।
- (2) किसी ऐसे अधिकारी की, जिसने अभिकथित अतिक्रमण की बाबत अन्वेषण या निरीक्षण किया है, अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी।

- **30**. **सूचना का जारी किया जाना—(1)** अभिहित प्राधिकारी, यदि उसे ऐसा करने के युक्तियुक्त आधारों का पता चलता है, तो वह न्यासी बैंक या किसी संबंधित व्यक्ति को, उससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसे अनुदत्त किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर दिया जाए या क्यों न उसमें उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई की जाए, एक सूचना जारी करेगा।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अतिक्रमण को, अधिनियम, विनियमों, निदेशों या परिपत्रों के उन उपबंधों को उपदर्शित करते हुए, जिनकी बाबत अतिक्रमण करने का अभिकथन किया गया है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (3) उपविनियम (1) के अधीन जारी सूचना के साथ ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां, जिनका अभ्यारोपण करने में अवलंब लिया गया है और दस्तावेजों के सुसंगत भाग के उद्धरण, ऐसी रिपोर्टें, जिनमें किए गए अन्वेषण या निरीक्षण, यदि कोई हो, में दिए गए निष्कर्ष अंतर्विष्ट हों, उपाबद्ध की जाएंगी।
- (4) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो उसकी तामील होने की तारीख से इक्कीस दिन से अधिक नहीं होगी, अभिहित प्राधिकारी को एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
- 31 .सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उत्तर –(1) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अभिहित प्राधिकारी को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन, उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करेगा:

परंतु अभिहित प्राधिकारी सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्शित पर्याप्त आधारों के आधार पर और ऐसे विस्तार के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् सूचना में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा ।

- (2) यदि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उस प्रयोजन के लिए प्रदत्त समय के भीतर कारण बताओ सूचना का उत्तर नहीं देता है, तो अभिहित प्राधिकारी मामले में, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई कर सकेगा और उसके समक्ष उपलब्ध सारवान तथ्यों के आधार पर ऐसा करने की सिफारिश कर सकेगा।
- 32 .व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई अभिहित प्राधिकारी, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अधिनियम, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों या परिपत्रों पर विचार करने के पश्चात्, जहां तथ्यों से यह अपेक्षित हो, वहां निम्नलिखित की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा -
 - (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबन :
 - (ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण ;
 - (ग) आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई नया कार्य या संविदा प्राप्त करने या नवीन स्कीम प्रारंभ करने से प्रतिषिद्ध करना ;
 - (घ) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रधान अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती या अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर नियोजित या उसके साथ सहयोजित होने से विवर्जित करना ;
 - (ङ) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति की किसी शाखा या किसी कार्यालय को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई क्रियाकलाप करने से विवर्जित करना;
 - (च) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देना ।
- 33. सिफारिश पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया—(1) अभिहित प्राधिकारी से कार्रवाई करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित सदस्य उस पर विचार करेगा और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक कारण बताओ सूचना, जिसके साथ अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न होगी और जिसमें सूचना प्राप्त करने

वाले व्यक्ति से इस बारे में कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत समुचित निदेश पारित करना भी है, क्यों नहीं की जानी चाहिए, लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, जारी करेगा।

- (2) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अभिहित सदस्य को एक उत्तर भेजेगा जो उस उत्तर पर, यदि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है, विचार करने और उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्रता से समुचित आदेश पारित कर सकेगा और सूचना का उत्तर प्राप्त होने या सुनवाई की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास किया जाएगा।
- (3) अभिहित सदस्य, जहां प्रश्नगत विषय वस्तु सारवान रूप से समान या समरूप प्रकृति की है, सूचना प्राप्त करने वाले अनेक व्यक्तियों के संबंध में एक समान आदेश पारित कर सकेगा।
- **34**. **आदेश की संसूचना—(**1) इन विनियमों के अधीन किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट और अभिहित सदस्य द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा।
- (2) इन विनियमों के अधीन पारित आदेश की प्रति न्यासी बैंक या संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी और उसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।
- **35**. **शास्ति और न्यायनिर्णयन**—न्यासी बैंक या किसी संबंधित व्यक्ति पर शास्ति का अधिरोपण, यदि कोई हो, अधिनियम और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार किया जाएगा।
- **36. प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील**—न्यासी बैंक या कोई अन्य संबंधित व्यक्ति, जो इन विनियमों के अधीन पारित किसी आदेश से असंतुष्ट है, अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) ''अभिहित प्राधिकारी " पद से विनियम 29 के उपविनियम (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ख) ''अभिहित सदस्य " पद से प्राधिकरण का तत्प्रयोजनार्थ अभिहित अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है ;
- (ग) ''सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अध्याय के अधीन सूचना जारी की गई है।

<u> अध्याय -7</u>

प्रकीर्ण

- **37**. **शिकायतों को दूर करना**—अभिदाता की शिकायत को दूर करने की संपूर्ण जिम्मेदारी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार होगी।
- **38. गोपनीयता**—न्यासी बैंक, उसके कार्यकरण की अवधि के दौरान उसे प्राप्त या अर्जित सभी अभिलेखों, डाटा और सूचना की बाबत पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा । वह, प्राधिकरण की पूर्व अनुमित के बिना ऐसा डाटा या सूचना विधि की सम्यक् प्रक्रिया द्वारा यथा अपेक्षित के सिवाय, साक्ष्य के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रस्तुत या साझा नहीं करेगा ।
- 39. प्राधिकरण की स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति—इन विनियमों के लागू किए जाने या उनके निर्वचन में की किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, प्राधिकरण को टिप्पणी या परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरणों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को जारी करने की शक्ति होगी जो न्यासी बैंक या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर बाध्यकर होंगे।

- **40**. **अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति**—(1) न्यासी को एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा जो अधिनियम, नियमों के उपबंधों और प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेशों का उसके द्वारा अनुपालन को मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) अनुपालन अधिकारी उसके द्वारा देखे गये किसी अननुपालन की रिपोर्ट तुरंत और स्वतंत्र रूप से प्राधिकरण को करेगा।

अनुसूची 1

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(न्यासी बैंक) विनियम, 2015

[विनियम 9 (3) (ड.) देखिए]

आचार संहिता

- 1. अभिदाता संरक्षण
- (क) अभिदाता

न्यासी बैंक, अभिदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए सभी प्रयास करेगा और अभिदाता की आवश्यकताओं और परिवेश तथा स्वयं के वृत्तिक कौशलों को ध्यान में रखते हुए यथा संभव सर्वोत्तम सलाह देगा।

(ख) उच्च स्तरीय सेवा

न्यासी बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसके प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, कर्मचारी, अपने कार्य संचालन में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, गरिमा, निष्पक्षता, सदाचार और व्यवसायिकता का पालन करेंगे और सभी व्यवसायिक व्यवहार शीघ्र, प्रभावी और दक्ष रीति में प्रभावी होंगे। न्यासी बैंक, अपने कार्य संचालन की बाबत अपने कर्मचारियों के कार्य या कार्यलोप के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) सम्यक् तत्परता बरतना और किसी प्रकार की दुरभिसंधि का न होना

न्यासी बैंक, सभी समय पर उच्च स्तरीय सेवाएं देगा, उसके द्वारा नियोजित या नियुक्त व्यक्तियों पर सम्यक् निपुणता और तत्परता का प्रयोग करेगा, उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय करेगा और किसी भी समय पर ऐसी रीति में जो अभिदाता(ओं) के लिए हानिकारक हों, अन्य मध्यवर्तियों के साथ किसी प्रकार की सांठ-गांठ नहीं करेगा।

- 2. धनराशियों का वितरण (क) पेंशन निधियों का प्रेषण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण—न्यासी बैंक, पेंशन निधियों के लिए निधि के प्रेषण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाताओं के अंशदानों के प्रत्याहरण के संदर्भ में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा जारी अनुदेशों को तत्परता के साथ निष्पादित करेगा।
- 3 सूचना का प्रकटन
- (क) न्यासी बैंक, नोडल कार्यालयों, मध्यवर्तियों और अभिदाताओं को समझ में आने योग्य रीति में और समय से पर्याप्त प्रकटन सुनिश्चित करेगा ।
- (ख) न्यासी बैंक, मिथ्या प्रस्तुति नहीं करेगा और सुनिश्चित करेगा कि नोडल कार्यालयों, मध्यवर्तियों और अभिदाताओं को दी गई सूचना भ्रामक न हो ।
- (ग) न्यासी बैंक, नोडल कार्यालयों, मध्यवर्तियों और अभिदाताओं को, अन्य नोडल कार्यालयों और अभिदाताओं को दी गई सेवाओं की बाबत अपनी अर्हता या कतिपय सेवाएं प्रदान करने की अपनी क्षमता के बारे में मौखिक या लिखित रूप से कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं करेगा।
- (घ) न्यासी बैंक, किसी को भी मौखिक रूप से या लिखित रूप से, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, अपने नोडल कार्यालयों और अभिदाताओं के बारे में कोई ऐसी गोपनीय सूचना, जो उसकी जानकारी में आयी है, प्राधिकरण की पूर्व अनुमित के बगैर, वहां के सिवाय, जहां ऐसा प्रकटन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन में किया जाना अपेक्षित हो, प्रकट नहीं करेगा।
- 4. हितों का टकराव- न्यासी बैंक, हितों के विरोध से दूर रहेगा और अपने हितों का पर्याप्त प्रकटन करेगा तथा हित के किसी टकराव की स्थिति का, जो उसके कार्य संचालन में उद्भूत हों, का समाधान करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाएगा या यदि कोई हित का टकराव उद्भूत होता है तो उसके समाधान के लिए साम्यापूर्ण रीति में युक्तियुक्त उपाय करेगा। न्यासी बैंक,

मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते समय कर्तव्यों और हितों के टकराव के ऐसे संभाव्य स्रोत या संभावित क्षेत्रों का समुचित प्रकटन करेगा जो उसके ऋज्, यथार्थ और निष्पक्ष सेवाएं देने की उसकी समर्थता को क्षति पहुंचाएंगे।

5. अनुपालन और निगमित शासन

स्थान :

- (क) न्यासी बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तम निगमित निधियां और निगमित शासन को स्थान दिया जाए । वह कपटपूर्ण और छलसाधन युक्त संव्यवहारों में आलिप्त नहीं होगा ।
- (ख) न्यासी बैंक यह सुनिचित करने के लिए कि आंकड़ों और लेखा अभिलेखन की निरंतरता को बनाए रखा जाए, पर्याप्त और आवयश्क उपाय करेगा और यह भी कि इसके लिए आंकड़े या अभिलेख लुप्त या नष्ट न हो। । यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इलेक्ट्रानिक अभिलेख और आंकड़ों के लिए उसके पास सदैव अद्यतन बैकअप उपलब्ध हों।
- (ग) न्यासी बैंक, प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन न्यास के साथ जब कभी अपेक्षित हो, सहयोग करेगा और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास दिए जाने वाले किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों, कागजपत्रों या सूचना में कोई असत्य कथन नहीं करेगा या किसी सारवान् तथ्य को नहीं छिपाएगा, प्राधिकरण या अन्य अभिकरण को, जो उसके साथ रजिस्ट्रीकृत हैं, ऐसी पुस्तकों, दस्तावेजों, पत्राचार और कागजपत्र या उसके किसी भाग को, जिनकी समय-समय पर मांग की जाए/अनुरोध किया जाए, प्रस्तुत करने की उपेक्षा नहीं करेगा या उसमें असफल नहीं रहेगा या प्रस्तुत करने से इंकार नहीं करेगा।
- (घ) न्यासी बैंक, यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति में परितर्वन या क गई कोई शास्तिक कार्रवाई, यावित्त में किसी ऐसे सारवान् परिवर्तनों के बारे में, जो अभिदाताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, अभिदाताओं को तत्काल सूचित किया जाएगा, कोई शेष अवशिष्ट कारबार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के किसी अनुदेश और सुसंगत विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व को अंतरित हो जाएंगे।
- (ड.) न्यासी बैंक, ज्ञान और क्षमता के स्तर को बनाए रखेगा और अधिनियम प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का, जो ऐसे न्यासी बैंक द्वारा किए जाने वाले कारबार की बाबत न्यासी बैंक को लागू होते हैं, पालन करेगा।
- (च) न्यासी बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को उसके द्वारा किसी विधि, नियम, विनियम और प्राधिकरण के या किसी अन्य विनियामक निकाय के निदेशों के किसी सारवान् भंग या अननुपालन की बाबत उसके विरुद्ध आरंभ की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों आदि के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

अनुसूची 2

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015

[विनियम 9 (2) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

रजिस्टीकरण प्रमाणपत्र

^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरणको तारीखसे न्यासी बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करता है ।
यह प्रमाणपत्र जारी की जाने वाली तारीख सेवर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।
न्यासी बैंक का रजिस्ट्रीकरण कोडहै ।
तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षर

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./203/14(346)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2015

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015

No. PFRDA/12/RGL/139/6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (e), (l), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement**.–(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015.

The regulation aims to provide standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the Trustee Bank and requiring it to establish internal system that delivers compliance with standards for internal organization and operational conduct, for protecting the interest of the subscribers.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);
 - (b) "Board of Trustees" means trustees appointed by the Authority to the Board of the National Pension System Trust:
 - (c) "compliance officer" means a person of responsibility from the Trustee Bank; designated as such and charged with the responsibility of monitoring compliance by it of the provisions of the Act, or the rules or the regulations made or notifications, guidelines, circulars or instructions issued by the Authority there under.
 - (d) "Drawing and Disbursing Officer" means a Drawing and Disbursing Officer under the Central Government or a similar office under it or a State Government or an autonomous body which shall interact with the Pay and Accounts Office (or equivalent office) or the central recordkeeping agency on behalf of the subscribers for the purpose of the National Pension System;
 - (e) "firewall" means a system to prevent access to inside information of different segregated activities and resources among the key personnel of the Trustee Bank, the systems, back office, bank and securities accounts which must be segregated activity-wise;
 - (f) "nodal office" means the offices which act as interface between the subscribers and the central recordkeeping agency and includes the Government office like Principal Accounts Officer, Directorate of Treasuries and Accounts, Pay and Accounts Officer, District Treasury Office, Drawing and Disbursing Office as well as point of presence and a service provider in the un-organized sector, National Pension System-Lite oversight office and the National Pension System-Lite Accounting Office in the National Pension System-Lite sector;
 - (g) "Pay and Accounts Office" means a Pay and Accounts Office under the Central Government or a State Government or a similar office under a Union territory or an autonomous body responsible for maintaining the contribution details for subscribers covered under the National Pension System;
 - (h) "Permanent Retirement Account Number" means a unique number allotted by the central recordkeeping agency to each subscriber under the National Pension System;
 - (i) "principal officer" means any person who is responsible for the activities of a Trustee Bank and includes,-
 - (i) any whole-time director, executive director, managing director or Chief Executive Officer or Chief Financial Officer, in the case of a body corporate;
 - (ii) any person designated as a principal officer by the board of directors; and
 - (iii) any key managerial personnel or any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors or any one or more of the directors is or are accustomed to act as such;
 - (j) "service-level standards" means standards defining the service quality and turnaround time for fulfilling the duties and responsibilities laid down for the Trustee Bank.
 - (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF TRUSTEE BANK

- 3. Application for grant of certificate of registration and application fee.—(1)The Authority may invite applications from the eligible entities for grant of a certificate of registration as Trustee Bank. The entities desirous of obtaining such certificate shall be required to submit applications, accompanied by the application fee specified in sub-regulation (5), to the Authority. The basis of the selection process and evaluation under such selection process shall be as the Authority may specify, on the date of inviting applications for grant of certificate of registration, which shall be published in the newspapers and placed on the website of the Authority.
 - (2) The Trustee Bank, which was appointed to function as such, by the Interim Pension Fund Regulatory and Development Authority, prior to establishment of the Authority under the Act, may continue to act as such for the unexpired period of its tenure of appointment, or any extension granted thereof by the Authority, provided however that such Trustee Bank shall make an application for grant of certificate of registration, within a period of ninety days from the notification of these regulations. The Authority, may subject to the Trustee Bank, fulfilling the eligibility conditions grant a certificate of registration, for the period mentioned in this sub-regulation.
 - (3) The Authority shall examine the eligibility of the applicants in terms of the provisions of the Act, rules and regulations, and any other criteria, so specified in such selection process to be undertaken, as referred to in sub-regulation (1), and any modifications in the criteria as may be specified by it from time to time.
 - (4) The Authority may appoint one or more Trustee Bank under these regulations.
 - (5) Every applicant shall pay a non –refundable application fee of rupees ten lakh, along with the application to the Authority.
- 4. **Eligibility criteria**.—(1) The entities satisfying the following eligibility criteria and any other criteria or terms and conditions, or any modifications, as may be specified in the selection process referred to in regulation 3, shall be eligible to participate in the selection process for Trustee Bank,-
 - (a) any scheduled commercial bank [registered and regulated by the Reserve Bank of India, under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)] with extensive rural and urban network of branches as may be specified in the selection process;
 - (b) the applicant, on the date of application, should have made net profit at least in the last three consecutive financial years, and shall satisfy the minimum capital adequacy ratio as specified by the Reserve Bank of India from time to time;
 - (c) the applicant has been authorised to undertake Government business on behalf of Ministries or Departments of the Central Government and the State Governments;
 - (d) all branches of applicant shall be networked;
 - (e) commitment of the applicant to establish technological compatibility with the central recordkeeping agency or agencies, if selected as the Trustee Bank, including allowing a unique transaction identity generated by the central recordkeeping agency for every transaction to be validly recognizable throughout the complete transaction trail;
 - (f) the applicant should have Cash Management Services business. The number of Cash Management Services clients and through put shall be as specified by the Authority in the selection process.
 - (2) The Authority may change or modify the eligibility criteria as may be specified from time to time in the interest of the subscribers or for the orderly growth of the pension system.
- 5. **Disclosure of Information**.—(1) The Authority, having regard to the interest of the subscribers, may make disclosure to the public, the information on the application made by the applicant by placing such information on a website as specified by the Authority, including a website maintained by the applicant.
- (2) Any material change in the information furnished or placed on the website pursuant to these regulations shall be intimated to the Authority by the applicant promptly but not later than fifteen days of the occurrence of such changes.
 - 6. **Furnishing of information and clarification.**—(1) The Authority may require the applicant to furnish any further information or clarification, for the purpose of disposal of the application, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority.
 - (2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Authority, within the time specified in this regard by the Authority.
 - 7. **Verification of information**.—(1) While considering the application, the information furnished by the applicant and its eligibility, the Authority may, if it so desires, verify the information in any manner, as deemed necessary,

which may include physical verification of documents, office space and inspect the availability of office space, infrastructure and technological support which the applicant is required to have.

- (2) For the purpose of verification of information, the Authority may appoint any person including any of its officers or an external auditor or agency.
- 8. Consideration of application and rejection.—(1) For the purpose of grant of certificate, the Authority shall take into account all matters which it deems relevant to the activities under the National Pension System, or any other pension scheme referred to in clause(b) of sub-section (1) of Section 12 of the Act, including but not limited to the following, namely:-
 - (a) whether the applicant satisfies the eligibility criteria specified in these regulations and also the terms and conditions as may be specified in the selection process referred to in regulation 3;
 - (b) whether the grant of certificate is in the interest of subscribers and the objective of orderly development of pension sector and the National Pension System.;
 - (c) whether the applicant is a person who has been refused a certificate by the Authority or whose certificate has been cancelled by the Authority.
 - (d) any other ground that the Authority may specify for consideration and rejection of application.
 - (2) Any application for grant of certificate may be rejected on any of the following grounds, namely:-
 - (a) if the application is not complete in all respects and does not conform to the requirements specified in these regulations or any other selection criteria specified by the Authority on the date of inviting applications for grant of certificate of registration;
 - (b) if the application is unaccompanied by the specified application fee or with relevant documents in support or the applicant fails to furnish such additional information as required by the Authority;
 - (c) if the application contains incorrect, false or misleading information.
 - (3) Where an application is rejected under clause (b) of sub-regulation (2), the Authority shall record reasons in writing:

Provided that, before rejecting any such application, the Authority shall give the applicant an opportunity to remove the objection within such time as may be specified by the Authority:

Provided further that where an application is rejected by the Authority for the reason that it contains false or misleading information, no such opportunity may be given and the applicant shall not make any application for grant of certificate under these regulations or any other regulations for a period of one year from the date of such rejection.

- 9. **Procedure for grant of certificate of registration**.—(1) The applicant shall submit an application in the format as may be specified by the Authority. In order to be eligible for registration, the applicant shall be required to qualify, on the date of application, all the technical and commercial parameters as specified by the Authority under the selection process.
- (2) The Authority on being satisfied that the applicant satisfies the eligibility criteria as specified under the Act, the rules and regulations and also the evaluation criteria specified in the selection process, it shall, grant a certificate of registration in the form specified in Schedule II and send intimation to this effect to the applicant.
- (3) Any certificate of registration granted by the Authority to the Trustee Bank shall be subject to the following conditions, namely:-
 - (a) where the Trustee Bank proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Authority for continuing to act as such Trustee Bank after such change in status or constitution;
 - (b) it shall pay the applicable fees in accordance with the regulation 11 or 12, as may be applicable;
 - (c) it shall at all times abide by the provisions of the Act, rules, regulations, directions, guidelines and circulars as may be issued there under and other relevant laws;
 - (d) it shall at all times meet the eligibility criteria and other requirements specified in these regulations;
 - (e) it shall comply with the Code of conduct as specified in Schedule I:

Provided that the Authority may impose such other conditions as it may deem fit in the interest of subscribers or orderly development of the pension sector and the Trustee Bank shall be required to comply with such conditions.

(4) A request for prior approval, under clause (a) of sub-regulation (3), which is complete in all respects, shall be disposed off by the Authority within a period of sixty days from the date of receipt of such request and where the decision of the Authority has not been communicated to the Trustee Bank within the said period of sixty days, the prior approval shall be deemed to have been granted.

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21

- (5) The request for prior approval under clause (a) of sub-regulation (3) shall contain the information in respect of the Trustee Bank after the proposed change in status or constitution and the information shall be placed on the website as may be specified by the Authority.
- 10. Effect of refusal to grant certificate or expiry of certificate.—(1) Where the Trustee Bank has failed to make an application or where an existing Trustee Bank has been refused grant of certificate under these regulations, the Trustee Bank shall,-
 - (a) forthwith cease to act as such Trustee Bank;
 - (b) transfer its amounts, records and documents related to its activities with complete reconciliation to another Trustee Bank which has been granted a certificate for carrying on such activity;
 - (c) make provisions as regards liability incurred or assumed by the Trustee Bank;
 - (d) take such other action, within the time limits and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority.
 - (2) While refusing grant of certificate of registration under these regulations to an existing Trustee Bank, the Authority may impose such conditions upon it as it deems fit for protection of subscribers and such conditions shall be complied with.
- 11. **Registration fee.**—A non refundable registration fees of rupees twenty-five lakh shall be paid by the applicant to the Authority.
- 12. **Annual fee.**—(1) The Trustee Bank shall deposit each year an annual fee before the due date which shall be determined through bid or in such other manner as may be decided by the Authority at the time of selection process.
- (2) For the year in which the certificate of registration is granted, annual fee shall be deposited by the Trustee Bank within thirty days from the date of registration in the proportion applicable for each quarter of the financial year regardless of the number of months or days falling short of such quarterly period. In case, the Trustee Bank fails to deposit an annual fees before or on due date, the Authority shall have the right to cancel the certificate of registration of the Trustee Bank.
 - 13. **Period of validity.**—(1) Subject to compliance with the provisions of the Act or these regulations, every certificate of registration granted to a Trustee Bank shall be valid for a period of five years from the date of grant of registration unless suspended or cancelled by the Authority.
 - (2) The Authority may, extend or reduce the tenure of the registration certificate, for such period as it may determine in the interest of the subscribers. Such extension or reduction shall be granted for reasons to be recorded in writing. Any extension granted to the Trustee Bank upon expiry of tenure of registration shall be binding on the Trustee Bank and the Trustee Bank shall discharge its functions in accordance with the terms of such extension.
 - (3) During the validity of registration certificate under sub-regulations (1) and (2), the certificate of registration granted to the Trustee Bank shall be reviewed annually or any other period or at any point of time as may be notified by the Authority and its continuity as Trustee Bank shall be decided thereupon by the Authority.
 - (4) The Trustee Bank shall be liable to pay annual fee as specified under regulation 12.
 - (5) On extension of the registration certificate for less than one year, pro rata annual fee or renewal fee shall be recovered on quarterly basis.
 - 14. Extension of registration.—The Authority shall notify for fresh registration in accordance with these regulations ninety days or such other time as may be specified, prior to the date of expiry of tenure of the registered Trustee Bank or may extend the tenure of certificate of registration of the Trustee Bank, for such period, as it may determine in the interest of the subscribers. Such extension shall be granted for reasons to be recorded in writing. Any extension granted to the Trustee Bank upon expiry of tenure of registration shall be binding on the Trustee Bank and the Trustee Bank shall discharge its functions in accordance with the terms of such extension.

CHAPTER III

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF TRUSTEE BANK

- 15. **Authorization**.—(1)The Board of Trustees of National Pension System Trust shall authorize the Trustee Bank to act as its agent for the purpose of banking the funds in accordance with the provisions of the Act, the rules or the regulations made there under and any guidelines or directions issued by the Authority.
 - (2) The Board of Trustees shall authorize the Trustee Bank to hold on its behalf the funds in the name of National Pension System Trust and for the beneficial interests of the beneficiaries of the National Pension System. No such authorization shall confer upon the Trustee Bank, any right, title, interest or share in the funds of the subscribers or any other right under the National Pension System.
 - (3) The Board of Trustees shall certify to the Trustee Bank the names and signatures, address and scope of authority of all persons authorized to give proper instructions or any other notice, request, directions, circulars, instruction and notification issued by the Authority from time to time and in accordance with the terms of the regulation, certificate or instrument on behalf of the National Pension System Trust. Such certificate may be accepted and relied upon by the Trustee Bank as conclusive evidence of the facts set forth therein and may be considered in full force and effect until receipt of similar certificate to the contrary. Any such certificate may be given by the Chief Executive Officer of the National Pension System Trust or such other person, as may be authorized by the Board of Trustees.
 - (4) The Trustee Bank shall certify to the Board of Trustees, the names and signatures, address and scope of authority of all persons authorized to receive proper instructions or any other notice, request, direction, instruction, certificate or instrument on behalf of the Trustee Bank. The service of any notice, request, direction, instruction, certificate or instrument on such authorized persons shall be deemed to be effective notice or service to the Trustee Bank.
- 16. Roles and responsibilities.—(1)The Trustee Bank shall assume the day to day banking of the funds under the National Pension System and shall provide banking facilities in accordance with the provisions of the directions issued by the Authority in terms of the Act, the rules and the regulations made there under, operational service level agreements executed with the National Pension System Trust and standard operating procedure issued by the National Pension System Trust, based on the Authority's guidelines.
 - (2) The Trustee Bank shall exercise all due diligence and vigilance in carrying out its duties and in protecting the rights and interests of the subscribers, the beneficiaries of the schemes under the National Pension System. The Trustee Bank shall be responsible for the acts of omissions or commissions by its employees or the persons whose services have been procured by the Trustee Bank in whatever capacity.
 - (3) The account of the National Pension System Trust with the Trustee Bank shall be in the name of National Pension System Trust and the Trustee Bank shall be holding the funds of the National Pension System Trust. However, individual subscribers under the National Pension System shall remain beneficial owners of these funds.
 - (4) The Trustee Bank shall maintain all books and records of the National Pension System Trust Account and comply with the disclosure requirements as specified by Authority or National Pension System Trust from time to time and as provided in these regulations. The Trustee Bank shall maintain books and records about the fund flow and information flow between Trustee Bank, central recordkeeping agency, subscribers and pension funds to ensure compliance with the guidelines and submit regular reports at such intervals and in such manner as may be required or called for by Authority or its authorized representative. The books and records related to the National Pension System Trust's accounts shall be available for inspection to the Authority or its authorized officers, and National Pension System Trust and their respective auditors.
 - (5) The banking of the funds shall be on account of the National Pension System Trust and the Trustee Bank shall discharge its duties in terms of the regulation with adequate care. The Trustee Bank shall be fully liable for any losses occasioned to the National Pension System Trust on account of any acts of omission or commission in the nature of fraud, negligence, dereliction of duty, misconduct or misdemeanor or any breach of applicable law or of the provisions of these regulations on the part of the Trustee Bank or its employees in which event the Trustee Bank shall be liable to indemnify the National Pension System Trust and the Board of Trustees for any loss occasioned (either directly or indirectly to the National Pension System Trust or Board of Trustees) or any claim raised against the National Pension System Trust or Trustees by any party in accordance with any agreement signed between the Board of Trustees and the Trustee Bank.

- (6) The funds shall be credited to separate accounts in the name of the National Pension System Trust maintained with the designated branch of the Trustee Bank. All receipts, payments, income and expenses shall be debited or credited to this account. The Trustee Bank shall be responsible for the day-to-day flow of funds.
- (7) (a) Systems and procedures,—
 - (i) The Trustee Bank shall have all the necessary systems procedures, infrastructure that may be required to enable it to co-ordinate with other intermediaries;
 - (ii) firewall from other businesses: Trustee Bank shall ensure that a firewall is maintained in respect of the business under the National Pension System, both in terms of staff and systems, from its other businesses;
 - (b) monitoring, review, evaluating and inspecting systems and controls,-
 - (i) Trustee Bank must have adequate mechanisms for reviewing, monitoring and evaluating its controls, systems, procedures and safeguards;
 - (ii) where the records are kept electronically, it must take precautions necessary to ensure that continuity in recordkeeping is not lost or destroyed and that a sufficient back-up of records is available;
 - (iii) Trustee Bank shall have its systems inspected annually at its own cost, under the mechanism referred to in sub-clause (i), by an expert and this expert shall forward the inspection report within one month from the date of inspection to the Authority;
 - (iv) Trustee Bank shall establish and maintain adequate infrastructural facilities to be able to discharge its role and responsibilities as per the "service-level agreement" with the National Pension System Trust, and the operating procedures and systems of the Trustee Bank shall be adequately documented and backed by operation manuals.
- (8) The Trustee Bank shall be required to ensure access to all records, data or any other relevant material in respect of the Trust Account maintained with the Trustee Bank to the National Pension System Trust for ensuring necessary supervision (both on-site and off-site). The Trustee Bank shall be responsible for transmission of information pertaining to the funds under the National Pension System available with it and instructions to central recordkeeping agency on a regular basis. The Trustee Bank shall provide web based access to the National Pension System Trust, the Authority and other intermediaries as may be specified by the Authority or the National Pension System Trust. The Trustee Bank will be required to be able to adapt to future changes and functional obligations prescribed by the Authority or the National Pension System Trust.
- (9) The Trustee Bank shall sign the required Service Level Agreement, where applicable, with the National Pension System Trust and other intermediaries under the National Pension System. The Trustee Bank shall establish an interface and work in total co-operation and co-ordination with the other intermediaries appointed under the National Pension System.
- (10) The Trustee Bank shall not utilise the services of the sponsor or any of its associates, employees or their relatives, for the purpose of any of its duties and obligations:

Provided that the Trustee Bank may utilise such services if disclosure to that effect is made to the National Pension System Trust.

- (11) The Authority, may in the interest of subscribers add, delete or modify or alter the roles and responsibilities as mentioned in these regulations through circulars, notifications and guidelines from time to time.
- 17. Linkages of Trustee Bank with central recordkeeping agency and other intermediaries.—The Trustee Bank is required to establish necessary system and procedure, in order to facilitate fund transfers across various intermediaries of the National Pension System Architecture viz. central recordkeeping agency, nodal offices (Pay and Account Office, Drawing and Disbursing Officer, District Treasury Office, Directorate of Treasuries and Accounts), point of presence, aggregators, pension funds and annuity service providers, and others, as may be specified by the Authority.
- 18. Operational requirements for Trustee Bank.—Based on the level of activity, the Trustee Bank would be required to fulfill certain minimum operational requirements. These requirements may be as specified in the selection process as may be notified by the Authority, service level agreement and standard operating procedure issued by the National Pension System Trust from time to time. This is subject to modification from time to time as may be specified through guidelines issued by the Authority.
- 19. **Reports and audit.** (1)The Trustee Bank shall file the following periodic reports with the Authority and National Pension System Trust
 - (a) extracts of internal audit report from the independent auditors with respect to the National Pension System Trust Accounts, compliance certificates and subscriber complaints reports at regular intervals;
 - (b) concurrent audit report to be submitted every quarter;

(c) external audit report of all the National Pension System accounts maintained with the Trustee Bank to be submitted annually.

The scope of all the above three audits shall be defined by Authority.

- (2) At the end of each financial year, the Trustee Bank shall furnish a statement of the income and expenditure account and a balance sheet reflecting the position of the Trustee Bank as on the closing date of the financial year to the National Pension System Trust.
- (3) The Trustee Bank shall file with National Pension System Trust-
 - (a) Bio-data of all its directors along with their interest in other companies within fifteen days of their appointment; and
 - (b) any change in the interests of directors at every six months.
- (4) A report on discrepancies, if any, to or from the pension fund regarding fund transfer or receipt of funds based on information flow received from pension fund or central recordkeeping agency and actual fund transfer.
- (5) Provide periodic reports as per the parameters and frequency defined by the Authority or the National Pension System Trust. Some of the key parameters on which reports are required includes:
 - (a) account wise balances on daily basis;
 - (b) fund transfer and receipt status on daily basis;
 - (c) report on status of identified and unidentified funds in NPS account;
 - (d) sector wise unmatched amount return report weekly, monthly or as specified by the Authority.
- (6) Any other information or report required by Authority from time to time.

CHAPTER V

INSPECTION AND AUDIT

- 20. Inspection and audit.—(1) The Authority may, if it considers necessary at any time, undertake directly or through its authorized representative or auditor, an inspection and audit of the books, accounts, records including the telephone records and electronic records and documents of the Trustee Bank for any purpose, including the purposes as specified under sub-regulation (2).
 - (2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include,-
 - (a) to ascertain the infrastructural capabilities, systems and procedures;
 - (b) to ensure that the books of account, records including telephone records and electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;
 - (c) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the Trustee Bank;
 - (d) to ascertain whether the provisions of the Act or rules or the regulations made there under or circulars, guidelines or notifications issued by the Authority are being complied with;
 - (e) to inquire into the complaints received from subscribers, nodal offices, intermediaries or any other person on any matter having a bearing on the activities assigned by the Authority to the Trustee Bank;
 - (f) to inquire suomotu into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.
 - (3) The Authority may,-
 - (a) appoint one or more authorized representatives or, appoint a qualified auditor to undertake the inspection or audit referred to in sub-regulation (1);

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, the expression "qualified auditor" shall have the meaning derived from Section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

21. **Notice before inspection or audit.**—(1)Before undertaking an inspection or audit under regulation 20the Authority or its authorised representative or the auditor shall give ten working days' notice to the Trustee Bank:

Provided that no notice shall be required if the Authority is satisfied that an inspection or audit is required for immediate safeguarding of the interest of the subscribers.

(2) During the course of an inspection or audit, the Trustee Bank against whom the inspection or audit is being carried out shall be bound to discharge its obligations as provided in these regulations.

- 22. **Obligations** on inspection and audit—(1) It shall be the duty of the Trustee Bank, the affairs of which is being inspected or audited, and of every director, officer and employee thereof, to produce to the Authority, or its authorized representative or auditor, such books, accounts, records and other documents in its custody or control and furnish to the Authority or its authorized representative or the auditor with such statements and information relating to the activities entrusted to it by the Authority, as it or he may require, within such reasonable period as may be specified.
 - (2) The Trustee Bank shall allow the Authority or its authorized representative or the auditor to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the Trustee Bank or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the Authority or its authorized representative or auditor are relevant for the purpose of the inspection or audit.
 - (3) It shall be the duty of the Trustee Bank to give to the Authority, or its authorized representative or auditor all assistance in connection with the inspection and audit which the Authority or its authorized representative, or auditor may reasonably require.
- 23. **Submission of report**. (1)On completion of the inspection or audit, a report shall be submitted to the Authority, which after consideration of the report, may take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the subscribers.
 - (2) The Authority may *suomotu* or after consideration of the inspection or audit report, as the case may be, order an investigation or inquiry to be conducted in the matter.
- 24. Payment of inspection and audit fees.—The Authority shall be entitled to recover from the Trustee Bank such expenses incurred by it for the purposes of inspection or audit undertaken directly or through its authorized representative or auditor under sub-regulation (1) of regulation 20.
- 25. Inspection and audit by National Pension System Trust.— (1) The National Pension System Trust shall undertake directly or through its authorized representative, inspection or audit or both of the Trustee Bank, on an annual basis or at such other period as may be specified by the Authority in relation to operational Service Level Agreements in accordance with the provisions of Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015. The Trustee Bank shall allow the National Pension System Trust, or its authorized representative to have a reasonable access to the premises occupied by it, books of accounts, records and provide necessary information as may be required by it for the purpose of such inspection or audit, as the case may be.
 - (2) The National Pension System Trust shall be entitled to recover from the Trustee Bank such expenses incurred by it for the purposes of inspection or audit undertaken directly or through its authorized representative.
 - (3) The scope of audit or inspection may be modified by the Authority as may be specified by it from time to time.

CHAPTER VI

SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATE AND ACTION IN CASE OF DEFAULT

- 26. Cancellation or suspension of certificate of registration.—(1) Where any Trustee Bank which has been granted a certificate of registration under these regulations—
 - (a) fails to comply with any conditions subject to which a certificate of registration has been granted to it;
 - (b) contravenes any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or guidelines or notifications, directions, instructions or circulars issued by the Authority there under;
 - (c) contravenes any of the provisions of the agreements entered into with other intermediaries;
 - (d) indulges in unfair trade practices or conducts its business in a manner prejudicial to the interests of the subscribers;
 - (e) fails to furnish any information as required by the Authority relating to its area of operations;
 - (f) does not submit periodical returns as required under the Act or by the Authority;
 - (g) does not co-operate in an inquiry conducted by the Authority;
 - (h) commits any acts of defaults as mentioned under Section 28 of the Act;
 - (i) any other reason which in the opinion of the Authority warrants for suspension, cancellation or withdrawal of the certificate of registration granted;

The Authority may, without prejudice to any other action under the Act, regulations, directions, instructions or circulars issued there under, by order take such action in the manner provided under these regulations including cancellation or suspension of the registration of such Trustee Bank and such other action, as may be deemed appropriate.

- (2) The Authority may without prejudice to the powers under sub-regulation (1) instead of cancelling or suspending the certificate of registration, direct for varying or modifying the terms and conditions of the certificate of registration, as it may deem fit or pass any other order, as may be deemed beneficial in the interest of the subscribers.
- (3) Trustee Bank once registered shall have to ensure that the eligibility conditions as mentioned in this regulation are strictly adhered to during the entire currency of the registration period and any extension thereto, failing which the registration certificate may be cancelled. A certificate evidencing compliance with the eligibility conditions shall have to be furnished by the registered Trustee Bank to the Authority on annual basis within thirty days of closure of accounts for the financial year.
- 27. Surrender of any certificate of registration.—(1) Any Trustee Bank, which has been granted a certificate of registration under the Act or the regulations made there under, desirous of giving up its activity and surrendering the certificate, may make a request for such surrender to the Authority.
 - (2) While disposing of a request under these regulations, the Authority may require the concerned Trustee Bank to satisfy the Authority of the factors as it deems fit, including but not limited to the following:—
 - (a) the arrangements made by the Trustee Bank at its own costs and expenses for maintenance and preservation of records and other documents required to be maintained under the Act, regulations and guidelines;
 - (b) redressal of subscriber grievances;
 - (c) transfer of records, funds or securities of the subscribers at its own cost and expense;
 - (d) the arrangements made by it for ensuring continuity of service to the subscribers;
 - (e) defaults or pending actions, if any.
 - (3)While accepting the surrender request, the Authority may impose such conditions upon the Trustee Bank as it deems fit for the protection of interest of the subscribers of the National Pension System and the Trustee Bank concerned shall comply with such conditions.
 - (4) No Trustee Bank shall be permitted to surrender its certificate, in respect of which any action for default has been initiated or has been contemplated by the Authority.
- 28. Effect of suspension, cancellation or surrender of certificate.—(1)On and from the date of suspension or cancellation of the certificate, the concerned Trustee Bank shall-
 - (a) not undertake any additional assignment or collect any new money or information from the subscriber. During the period of such suspension, it shall cease to carry on any activity in respect of which the certificate of registration had been granted;
 - (b) allow its subscribers to transfer, as the case may be, their money or assignments or allow the National Pension System Trust to withdraw any assignment given to it, without any additional cost;
 - (c) make provisions as regards liabilities incurred or assumed by it;
 - (d) take such other action including the action relating to any records or documents and information or money of the subscribers that may be in the custody or control of such Trustee Bank, within the time limit and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority, while passing the order under these guidelines or otherwise.
 - (2) On and from the date of surrender or cancellation or suspension of the certificate of registration, the concerned Trustee Bank shall-
 - (a) return the certificate of registration so cancelled to the Authority and shall not represent itself to be a holder of the certificate of registration for carrying out the activity for which such certificate had been granted;
 - (b) cease to carry on any activity in respect of which the certificate had been granted;
 - (c) transfer funds, records and documents with complete reconciliation related to its activities to another Trustee Bank, as directed by the Authority, holding a valid certificate of registration to carry on such activities and allow its subscribers to transfer their funds to the transferee entity, without any additional cost;
 - (d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it;
 - (e) take such other action including the action relating to any records or documents and assets of the subscribers that may be in the custody or control of such Trustee Bank, within the time limit and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority while passing order under these guidelines or otherwise.
- 29. Appointment of designated authority.—(1) Where it appears to the designated member that any Trustee Bank which has been granted certificate of registration under these regulations or any other concerned person has committed any default of the nature specified in regulation26, he may appoint an officer not below the rank of a Chief General Manager, or any other officer of an equivalent rank as a designated authority.

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27

(2) No officer who has conducted investigation or inspection in respect of the alleged violation shall be appointed as a designated authority.

- 30. **Issuance of notice.**—(1) The designated authority shall, if it finds reasonable grounds to do so, issue a notice to the Trustee Bank or any other concerned person requiring it to show cause as to why the certificate of registration granted to it, should not be suspended or cancelled or why any other action provided herein should not be taken.
- (2) Every notice under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the noticee indicating the provisions of the Act, regulations, directions or circulars in respect of which the contravention is alleged to have taken place.
 - (3) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on in making of the imputations and extracts of relevant portions of documents, reports containing the findings arrived at in an investigation or inspection, if any, carried out.
 - (4) The noticee shall be called upon to submit within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written representation to the designated authority.
- 31. **Reply by noticee.** (1) The noticee shall submit to the designated authority its written representation within the period specified in the notice along with documentary evidence, if any, in support thereof:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown by the noticee and after recording reasons of extension in writing.

- (2) If the noticee does not reply to the show-cause notice, within the time granted for the purpose, the designated authority may proceed with the matter *exporte* recording the reasons for doing so and make his recommendations as the case may be on the basis of material facts available before him.
 - 32. **Action in case of default.**—(1) After considering the representations, if any, of the noticee, the facts and circumstances of the case and applicable provisions of the Act, regulations, directions or circulars administered by the Authority, the designated authority shall submit a report, where the facts so warrant, recommending,—
 - (a) suspension of certificate of registration for a specified period;
 - (b) cancellation of certificate of registration;
 - (c) prohibiting the noticee to take up any new assignment or contract or launch new scheme for the period specified in the order;
 - (d) debarring a principal officer of the noticee from being employed or associated with any registered intermediary or other registered person for the period specified in the order;
 - (e) debarring a branch or an office of the noticee from carrying out activities for the specified period;
 - (f) warning the noticee.
 - 33. **Procedure for action on recommendation.**—(1) On receipt of the report recommending measures from the designated authority, the designated member shall consider the same and issue a show cause notice to the noticee enclosing a copy of the report submitted by the designated authority calling upon the noticee to submit its written representation as to why the action, including passing of appropriate direction, should not be taken.
 - (2) The notice may, within twenty-one days of receipt of the notice send a reply to the designated member who may pass appropriate order after considering the reply, if any received from the notice and providing the person with an opportunity of being heard, as expeditiously as possible and endeavor shall be made to pass the order within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply of the notice or hearing.
 - (3) The designated member may pass a common order in respect of a number of noticees where the subject matter in question is substantially the same or similar in nature.
 - 34. **Intimation of order.**—(1) Every report made by a designated authority and every order made by the designated member under these regulations shall be dated and signed.
 - (2) A copy of the order passed under these regulations shall be sent to the Trustee Bank or other concerned person and also placed on the website of the Authority.
 - 35. **Penalty and adjudication.**—The imposition of penalty, if any, on the Trustee Bank or person shall be in accordance with the provisions of the Act and the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015.

36. **Appeals to Securities Appellate Tribunal.**—The Trustee Bank or any person concerned aggrieved by any order under these regulations may, prefer an appeal to the Securities Appellate Tribunal against such order in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 36 of the Act.

Explanation- For the purposes of this chapter,-

- (a) "designated authority" means an officer of the Authority appointed under sub-regulation (1) of regulation 29:
- (b) "designated member" means the Chairperson or a whole-time Member of the Authority designated for the purpose.
- (c) "noticee" means the person to whom a notice has been issued under this chapter.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

- 37. **Redressal of grievances.**—The overall responsibility of the redressal of subscriber grievance shall be as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015.
- 38. Confidentiality.—The Trustee Bank shall maintain absolute confidentiality with respect to all records, data and information received or acquired by it during the course of its working. It shall not, without the prior permission of the Authority, produce or share such data or information as evidence, or for any other purpose, except as required by the due process of law.
- 39. Power of Authority to issue clarifications.—In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Authority shall have the power to issue clarifications and guidelines in the form of notes or circulars which shall be binding on the Trustee Bank or any person connected with it.
- 40. **Appointment of Compliance Officer.**—(1) The Trustee Bank must appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring compliance by it of the provisions of Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions issued by the Authority.
 - (2) The compliance officer must immediately and independently report any non-compliance observed by him or her to the Authority.

SCHEDULE I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (Trustee Bank) Regulations, 2015

[See regulation 9 (3) (e)]

Code of Conduct

- 1. Subscriber Protection
- (a) Subscribers

The Trustee Bank shall make all efforts to protect the interests of subscribers and shall render the best possible advice having regard to the subscriber's needs and the environments and his own professional skills.

(b) High Standards of Service

The Trustee Bank shall ensure that it and its key management personnel, employees, shall in the conduct of their business, observe high standards of integrity, dignity, fairness, ethics and professionalism and all professional dealings shall be affected in a prompt, effective and efficient manner. The Trustee Bank shall be responsible for the acts or omissions of its employees in respect to the conduct of its business.

(c) Exercise of Due Diligence and no Collusion

The Trustee Bank shall at all times render high standards of service, exercise due skill and diligence over persons employed or appointed by it, ensure proper care and exercise independent professional judgment and shall not at any time act in collusion with other intermediaries in a manner that is detrimental to the subscriber(s).

2. Disbursal Of Amounts

- (a) Remittance to Pension Funds and Withdrawal of NPS Contribution- The Trustee Bank shall be prompt in executing the instructions issued by the NPS Trust with reference to the remittance of funds to Pension Funds and withdrawals of NPS contributions.
- 3. Disclosure of Information
- (a) The Trustee Bank shall ensure that adequate disclosures are made to the Nodal Offices, intermediaries and subscribers in a comprehensible and timely manner.
- (b) The Trustee Bank shall not make any misrepresentation and ensure that the information provided to the Nodal Offices, intermediaries and subscribers is not misleading.
- (c) The Trustee Bank shall not make any exaggerated statement whether oral or written to the Nodal Offices, intermediaries and subscribers, either about its qualification or capability to render certain services or its achievements in regard to services rendered to other Nodal Offices and subscribers.
- (d) The Trustee Bank shall not divulge to anybody, either orally or in writing, directly or indirectly, any confidential information about its Nodal Offices and subscribers, which has come to its knowledge, without taking prior permission of the Authority except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.

4. Conflict of Interest

The Trustee Bank shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest and shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner. The Trustee Bank shall make appropriate disclosure of the possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as an intermediary which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.

- 5. Compliance and Corporate Governance
- (a) The Trustee Bank shall ensure that good corporate policies and corporate governance is in place. It shall not engage in fraudulent and manipulative transactions.
- (b) The Trustee Bank shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or destroyed. It shall also ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it.
- (c) The Trustee Bank shall co-operate with the Authority and National Pension System Trust, as and when required and shall not make any untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Authority or National Pension System Trust neglect or fail or refuse to submit to the Authority or other agencies with which it is registered, such books, documents, correspondence and papers or any part thereof as may be demanded/requested from time to time.
- (d) The Trustee Bank shall ensure that any change in registration status /any penal action taken by Authority or any material change in financials which may adversely affect the interests of subscribers is promptly informed to the subscribers and any business remaining outstanding is transferred to another registered entity in accordance with any instructions of National Pension System Trust and the provisions of the relevant regulations.
- (e) The Trustee Bank shall maintain an appropriate level of knowledge and competency and abide by the provisions of any act, regulations, circulars and guidelines issued by the Authority and as may be applicable to the Trustee Bank in respect of the business carried on by such Trustee Bank.
- (f) The Trustee Bank shall ensure that the Authority and National Pension System Trust are promptly informed about any action, legal proceedings, etc., initiated against it in respect of any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations, and directions of the Authority or of any other regulatory body.

SCHEDULE II

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (Trustee Bank) Regulations, 2015

[See regulation 9 (2)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby grants a C	Certificate of Registration
to as a Trustee Bank on this day of	
This certificate is valid for a period ofyear from the date of issue.	
Registration Code for the Trustee Bank is	
Date:	
Place:	
	Authorised Signatory

T.C. CONTRACTOR Chairma

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson [ADVT-III/4/Exty./203/14]